न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00112 दायरा दिनांक : 09.01.2017

उनवान

1– ग्यारसीराम आत्मज धन्ना लाल, जाति माली, निवासी छबड़ा, तहसील, छबड़ा, जिला बारां राज0
2– बद्रीलाल आत्मज जमना लाल, जाति माली, निवासी छबड़ा, तहसील, छबड़ा, जिला बारां राज0
.... अपीलांट

बनाम

1– मुस0 अनीसा उर्फ अमीना पुत्री रईस खां, आयु 24 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी जोहरीपुरा, तहसील, छबड़ा, जिला बारां राज0
2– मुस0 कल्लो साबिक पति रईस खां हाल पत्नि रशीद, कौम मुसलमान, निवासी छबड़ा, तहसील, छबड़ा, जिला बारां राज0
3– राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां राज0
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

दिनांक : 30.04.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 49/2012 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रीछडा पटवार क्षेत्र बारई, तहसील छबड़ा में वादिया की पैतृक एवं प्रतिवादी नं. 3 के पूर्व पति यानि वादिया के पिता रईस खां की और दीगर खातेदार प्रतिवादी कम 1 व 2 के मुस्तरका आराजी खाता सं. 160 खसरा नं. 280 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 283 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 289 रकबा 05 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा वाके है। जिसमें वादिया के पिता एवं उसके भाई छोटे खां, नन्ने खां, शकीला बी, शाजिया बी का 1/4 हिस्सा यानि 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने अपने निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 21.06.2016 से न्याय आपके द्वार 2016 केम्प कोर्ट बारई पर मजमे आम ग्राम रीछडा, पटवार मण्डल वारई तहसील छबड़ा खसरा नं. 280 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 283 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 289 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा में वादिया एवं प्रतिवादी नं. 3 का निहित 1/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1, व 2 का निहित हिस्सा 19/20 पृथक हो, एवं वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी सरम, नरम मौके पर कब्जा व रास्ते का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को निर्देशित किया। तद्नुसार प्राथमिक डिकी जारी की गई, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 21.06.2016 विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अवलोकन किये बिना राजस्व केम्प बारई में अपीलांट प्रतिवादीगण एवं वादी रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बिना कोई साक्ष्य लिये दिनांक 21.06.2016 को उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुकाम बारई में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने फौरी तौर राजस्व केम्प में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी, तथा उसी दिन उसी वक्त वाद में अंतिम डिकी पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से उक्त वाद में बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा राजस्व केम्प में अपीलांट्स प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में उक्त प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी जो पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बिना कोई साक्ष्ये लिये उक्त प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त प्रकरण का मेरिट पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.06.2016 में यह अंकित करते हुए निर्णय पारित कर दिया कि आज राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुकाम बारई में मजमे आम प्रकरण पेश कर वकुलाये फरीकेन को आवाज दिलवायी गयी कोई उपस्थित नहीं आये, वाद पत्र पढ़कर सुनाया गया, समझाया, मजमे आम पूछताछ की गई, पत्रावली का अध्ययन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध नकल अनुसार वाद में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज है, वादिनी अपना हिस्सा विभाजन करवाना चाहती है, इसलिये वादिनी अपना हिस्सा बंटवारा करवा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बिना किसी प्रकार की कोई सुनवायी किये तथा बिना किसी साक्ष्य के वादिनी को उक्त प्रकरण में 1/20 हिस्से का खातेदार मानकर तथा अपीलांट्स प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.06.2016 निरस्त फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.11.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रिस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलांट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई थी, किन्तु तनकीयात के आधार पर तथा साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं कर न्याय आपके द्वार 2016 में निर्णय कर दिया। वक्त निर्णय वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित थे तथा उभयपक्ष के अभिभाषक भी अनुपस्थित थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.06.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को तनकीयात कायम कर सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को उपस्थित होवे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा